न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04/2019

बद्रीनारायण मीणा पुत्र रामरतन मीणा बड़ी बरथल पो0 पहाड़ी तह0 निवाई जिला–टोंक राज0

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला–टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 27–3–2019**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को दिनांक 19–1–2019 को आवेदन प्रस्तुत बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार चाही गई है:–

1–गैर मुमकिन नाले ग्राम बड़ी बरथल में किन–किन अतिक्रमणधारियों ने अतिक्रमण कर रख है। अतिक्रमणधारियों के नाम बताने का कष्ट करें।

2– ग्राम बड़ी बरथल के गैर मुमकिन नाले में कितनी ट्यूब लगी हुई है। ट्यूबवेल मालिकों के नाम बताने का कष्ट करें।

3–गैर मुमकिन नाले की सार्वजनिक नाडी से निवाई कस्बे तक नाले की चौड़ाई व लम्बाई व दूरी सहित बताने का कष्ट करें।

4–गैर मुमकिन नाले में कितने बाड़े व मकान मालिकों के नाम बताने का कष्ट करें।

5–गैर मुमकिन नाले में कोन से मकान का कितना हिस्सा आ रहा है। व कितना खातेदारी में व कितना नाले में है। मकान मालिक का नाम बताने का कष्ट करें।

6–गैर मुमकिन नाले को कितने दिन में अतिक्रमण हटा कर गैर मुमकिन नाले को कितने दिन में अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा व समय सीमा बताने का कष्ट करें।

7–गैर मुमकिन नाले के कितने हिस्से में खेती हो रही है। कामगार के नाम बताने का कष्ट करें।

8–खसरा नम्बर 11 किस्म में स्थित है खसरा नम्बार 11 की नकल व ट्रेस सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें व खसरा नम्बर 11 कहॉ तक स्थित है यह भी बताने का कष्ट करें।

9–खसरा नम्बरर 11 रजवास रोड के कोन से हिस्से से जुड़ा हुआ हैं खसरा नम्बर 11 की ग्राम बड़ी बरथल तक किन–किन व्यक्तियों के मकान खसरा नम्बर 11 के पास आते हें, उन व्यक्तियों के नाम सहित पता बताने का कष्ट करें।

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त बिन्दुवार व स्पष्ट सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को पत्र कमांक 181 दिनांक 7–3–2019 से जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई ने पत्र कमांक 177 दिनांक 16–3–2019 से न्यायालय हाजा में बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से बिन्दु सं0 5 व 7 की सूचना स्पष्ट नहीं दी गई है, साथ ही आवेदक को पत्र कमांक 101 दिनांक 4–2–2019 से दी गई सूचना व न्यायालय हाजा मे भिजवाए गए जवाब में भी अन्तर है। जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित बिन्दुवार सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को बिन्दु सं0 5 व 7 की स्पष्ट सूचना, तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner